120

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर केम्प उज्जैन मध्यप्रदेश

निगरानी प्रकरण क्रमांक /२०१७

130
8/8/17

निगरानी - 1657/पीबीआर/17

पार्थी अभिभाषक श्री ओम प्रकाश तोमर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 08-5-17
अधीक्षक 8.5.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

(१) प्रेमनारायण पिता हरिप्रसाद आयु 65 वर्ष
(२) जसमतसिंह पिता हरिप्रसाद आयु 62 वर्ष
(३) घनश्याम पिता जसमतसिंह आयु 30 वर्ष
(४) नरेन्द्र पिता प्रेमनारायण आयु 25 वर्ष
समस्त जाति परमार, धंधा कृषि,निवासी व कृषक जाबडियाभील तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

(१) मथरालाल पिता भंवरजी आयु 70 वर्ष
(२) कमलाबाई पति मथरालाल आयु 60 वर्ष
(३)घीसीलाल पिता मंदरूपसिंह आयु 65 वर्ष
(४) चंदरसिंह पिता गेंदालाल आयु 35 वर्ष
(५) पांचुबाई विधवा गेंदालाल आयु 60 वर्ष
(६) धनसिंह पिता जगन्नाथ आयु 65 वर्ष
(७) बद्रीप्रसाद पिता जगन्नाथ आयु 42 वर्ष
(८) शिप्राबाई पति बद्रीप्रसाद आयु 38 वर्ष
(९) रणजीतसिंह पिता छतरसिंह आयु 70 वर्ष
(१०)दरियावसिह पिता छतरसिंह आयु 68 वर्ष
(११)रामनारायण पिता मथरालाल आयु 35 वर्ष
(१२)सुनिताबाई पति रामनारायण आयु 30 वर्ष
(१३) दुर्गाप्रसाद पिता बालकिशन आयु 50 वर्ष
(१४) सुमित्राबाई पति दुर्गाप्रसाद आयु 45 वर्ष समस्त जाति परमार, निवासी व कृषक

निरन्तर ...(२)

D/Court/Advocate Tomar/Premnarayan

प्रेमनारायण जसमतसिंह घनश्याम नरेन्द्र

3

ग्राम जाबडियाभील तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

(१५) मध्य-प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

..... विपक्षीगण

(१६) दिलीपसिंह पिता मंदरूपसिंह आयु 54 वर्ष जाति पंवार धंधा काश्तकारी निवासी व कृषक ग्राम जाबडियाभील तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0 ......औपचारिक विपक्षी

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार प्रकाश कस्बे तहसील कालापीपल के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1 अ-13 /2016-17 मथरालाल पिता भंवरजी आदि विरूद्ध प्रेमनारायण पिता हरिप्रसाद आदि निवासी ग्राम जाबडियाभील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07/03/2017 से परिवेदित एवं दु:खित होकर ।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की और से यह निगरानी पत्र निम्न तथ्यो व आधारो पर न्यायदान हेतु सादर प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(१) यह कि, विपक्षी क्रमांक 1 मथरालाल पिता भंवरजी द्वारा एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला शाजापुर को दिनांक 15.11.2016 का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, निगरानीकर्तागण द्वारा बाप-दादा के समय से चला आ रहा रास्ता बंद कर दिया गया है, तथा निगरानीकर्तागण उसके साथ गाली गलोच कर रहे है । उसके आवेदन पत्र पर तहसीलदार कालापीपल द्वारा ग्राम पटवारी से मौका रिपोर्ट मय पंचनामें

निरन्तर ...(३)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1657-पीबीआर/17 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश तोमर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	